संख्या: 2 /2019/ 165 /सत्रह-म-2019-6-9 (35)/2000

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 फरवरी,2019

विषय अनधिकृत रूप से आयात एवं उत्पादन की जाने वाली प्रतिबंधित मत्स्य प्रजाति (थाई मांगुर) मछलियों के पालन एवं विनिष्टीकरण के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 435/2018 हुसैन खान बनाम मत्स्य विभाग, तेलंगाना व अन्य के साथ ओ0ए0 संख्या- 466/2018 चांदपासा बनाम तहसीलदार होसकोट, तालुक, बंगलौर व अन्य, ओ0ए0 संख्या- 494/2018 मो0 नाजिम बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड व अन्य, ओ0ए0 संख्या- 381/2018 संदीप अंकुश जाधव, पुणे बनाम जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है -

" There is no dispute whatsoever, that the breeding of Indian catfish i.e. ***Clarias batrachus*** is allowed in our country and breeding of exotic catfish i.e. ***Clarias gariepinus*** (Thai Magur) and its hybrids is banned in all the States and the Union Territories. In the facts and circumstances, we direct as follows:-

1. The breeding and culturing of exotic cat fish or its hybrids (Thai Magur etc.) i.e. ***Clarias gariepinus*** is prohibited in all the States and the Union Territories. The existing stock will be destroyed forthwith. For this purpose concerned District collectors/District Commissioners will take necessary action by forming inspection teams of officials of the fisheries Department for inspection of fish ponds and proper identification of prohibited ***Clarias gariepinus*** i.e. Thai Magur which are being reared and to destroy such stocks forthwith.
2. All the cat fish breeders shall be required to source their fish from State Fisheries Department or from the agencies which are authorized by the Department for this purpose.
3. Compliance report of this order shall be filed by the Directors of fisheries Department of all the States and Union Territories within a period of one month.

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि थाई मांगुर एवं बिगहेड मत्स्य प्रजाति की मछलियों के स्टाक के विनिष्टीकरण, आयात एवं विक्रय पर प्रतिबंध के सम्बंध में भारत सरकार के शासनादेश संख्या- 33035/5/ 98-एफवाई (2) दिनांक 17 जुलाई, 2000, के क्रम में समय-समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1116/57-म-2001-6-9(35)/2000 दिनांक 24 मार्च, 2001, शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3493/57-म-2002 -6-9 (35)/2000 दिनांक 26 अक्टूबर, 2002 एवं शासनादेश संख्या- 4721/सत्रह-म-2006 दिनांक 13 अक्टूबर,2006 तथा शासनादेश संख्या-2100/सत्रह-म-10-6-9 (35)/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिनके द्वारा उक्त प्रजातियों के उपलब्ध स्टाक को नष्ट करते हुए हैचरियों /तालाबों व मछली मण्डी का सतत एवं प्रभावी निरीक्षण करते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

1- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) उपजिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ अपर नगर मजिस्ट्रेट के साथ मत्स्य विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण दल गठित कर जिले की मछली मण्डियों, हैचरियों एवं तालाबों का सघन निरीक्षण किया जाय और प्रतिबंधित थाई मांगुर के मत्स्य बीज/ मछली की पहचान कर स्टाक का तत्काल विनिष्टीकरण सुनिश्चित कराया जाय।

(2) विनिष्टीकरण पर आने वाला व्यय प्रतिबंधित थाई मांगुर मत्स्य प्रजाति के बीज उत्पादन, उसके संवर्धन तथा आयात करने वाले सम्बंधित व्यक्ति/समिति / फर्म से बतौर भू- राजस्व की भॉति वसूली कराकर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-270 में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये ।

(3) निरीक्षणदलों के गठन एवं उनके द्वारा प्रतिबंधित मछली के विनिष्टीकरण के सम्बंध में की गयी कार्यवाहियों का सम्पूर्ण विवरण 03 सप्ताह में मत्स्य निदेशालय/ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या 02 /2019/ 165(1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व, सिंचाई, नगर विकास, वन, एवं पंचायतीराज विभाग को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीन आने वाले जलस्रोतों की नीलामी शर्तों/ अनुबन्ध शर्तो में थाई मांगुर मत्स्य प्रजाति के पालन न करने तथा विनष्टीकरण पर प्रतिकर न देने सम्बंधी प्राविधान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com